राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या — 1079/2013/अजमेर अपील संख्या —1080/2013/अजमेर

वणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-ए-अजमेर। बनाम मैसर्स बिन्दल प्रामोटर एण्ड कान्टेक्टर अजमेर

...अपीलार्थी.

....प्रत्यर्थी.

<u>एकलपीठ</u> श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई उप राजकीय अभिभाषक श्री अजय सोमानी अभिभाषक

......अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक 18.04.2017

निर्णय

यह अपील वाणिज्यिक कर अधिकारी,वृत—अ,अजमेर द्वारा उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 50/2012—13/वैट/अजमेर व 49/2012—13/वैट/अजमेर में पारित पृथक—पृथक आदेश दिनांक 31.12.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें इनपुट रिवर्स किये जाने को न्यायोचित नहीं मानते हुए रिवर्स की गई आई टी सी रू. 1,68,476/— एवं रू. 2,56,466/—को पुर्नः स्थापित किया गया है तथा कर राशिकम जमा नहीं पाये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित ब्याज क्रमशः रू. 67,385/— व रू.52,055/— को अपास्त किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी सीमेन्ट बिकी का व्यवसाय करता है। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 2008—2009 व 2009—10 के कर निर्धारण आदेश राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 26, 55 व 23 एव 24 के अन्तर्गत क्रमशः दिनांक 31.01.2012 पारित किये गये। प्रत्यर्थी व्यवहारी की ऑडिट रिपोर्ट में कमीशन/डिस्काउंट के रूप में क्रमशः रू. 13,47,808/—व रू. 18,31,904/— प्राप्त करना दर्शाया,जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह माना गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को क्रमशः रू. 13,47,808/—का लाभ स्वरूप बाद में प्राप्त होने का मालूम था, इसलिए उसके द्वारा कर योग्य बिक्री कम मूल्य की दर्शांकर बनने वाला वैट(आउटपुट) विभाग को कम किया जाकर करापवंचन किये जाने के कारण कर

निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसकी पालना में व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन किये जाने के उपरान्त कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 2(36) में दी गई विकय मूल्य की परिभाषा के अनुसार बिकी उपरान्त कमीशन/डिस्काउंट (Ex Post Facto) क्रमशः रू. 13,47,808/—व रू. 18,31,904/— को विकय राशि का भाग मानकर इस पर 12.5 व 14 प्रतिशत से क्रमशः कर रू. 1,68,476/— व रू. 2,56,466/— की आई.टी.सी. क्लेम अस्वीकार किया तथा इस राशि को देरी से जमा मानते हुए उस पर क्रमशः व्याज रू. 67,385/— व रू. 52,055/—आरोपित किया। उक्त आदेशों के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होंने रिवर्स की गई आई टी सी को पुर्नःस्थापित करते हुए आरोपित ब्याज को अपास्त किया है। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.09.2012 के विरूद्ध कर निर्धारण अधिकारी ने ये दोनों अपीलें प्रस्तुत की हैं।

अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी का आदेश का समर्थन करते हुये कथन किया गया कि ट्रेड डिस्काउंट से अपीलार्थी की क्रय राशि कम हो गयी थी। इसलिए शुद्व क्रय राशि पर चुकाये गये कर का मुजरा ही दिया जा सकता था। इसलिये कर निर्धारण अधिकारी ने अधिक लिए गए ITC को रिवर्स कर, विधिक आदेश पारित किया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों का समुचित विवेचन एवं विश्लेषण किये बिना ही आईटीसी क्लेम स्वीकार किया है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी का आदेश विधिक एवम् न्यायोचित नहीं होने से उसे अपास्त किया जाकर राजस्व की ओर से प्रस्तुत दोनों अपलें स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त कर कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को बहाल रखने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारीं ने सीमेण्ट कम्पनी से वेट इन्वाईसेज के आधार पर माल खरीद कर डीलर के रूप में विक्रय किया है। चूंकि अपीलार्थी व्यवसाई ने समस्त माल कम्पनी से क्रय किया है तथा कम्पनी के एग्रीमेण्ट के अनुसार वर्ष के अंत में टर्न ओवर के आधार पर कम्पनी टर्न ओवर डिस्काउण्ट देती है जिसको अपीलार्थी व्यवसायी ने अपने कुल खरीद मूल्य में से कम किया है जबिक वेट इनवाईस के आधार पर जो उसका खरीद मूल्य बनता है उस पर 12.5 प्रतिशत से कर चुकाया है, जिसकी इनपुट टैक्स केडिट पाने का हकदार है और उसने ऐसा करके किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। प्रत्यर्थी के अभिभाषक ने आगे कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी प्रकार का विशिष्ट कारण बताओं नोटिस दिये बिना इनपुट टैक्स को रिवर्स किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। धारा 2(36) एक्स—2

के प्रावधान विकेता जो की टर्न ओवर डिस्काउण्ट देता है, पर लागू होते है न कि केता अपीलार्थी पर,क्योंकि अपीलार्थी व्यवासाई ने पूरा कर विकेता को चुका दिया है। चूंकि धारा 2(36) का प्रावधान अपीलार्थी पर लागू नहीं होता अतः टर्न ओवर डिस्काउण्ट पर इनपुट टैक्स को रिवर्स करना अविधिक तथा नियम विरूद्ध है। प्रत्यर्थी के अभिभाषक ने कहा कि इनपुट केंडिट रिवर्स करने के प्रावधान धारा 18 की उप धारा (3) (1 to V) में वर्णित है चूंकि अपीलार्थी व्यवसायी का मामला धारा 3 की उप धारा (I to V) से आच्छादित नहीं होता है अतः कर निर्धारण अधिकारी का आदेश कानून की परिधि से बाहर है। इस संबंध में केरला उच्च न्यायालय में डब्लयू.पी. प्रिया एजेन्सीज् आदेश दिनांक 02.04.2008 में यह निर्धारित किया है कि टर्न ओवर डिस्काउंट के आधार पर इनपुट टैक्स केडिट को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। धारा 18(2) में यह स्पष्ट किया गया है कि खरीद वेट इनवाइस के अनुसार इनपुट केंडिट ली जायेगी, अपीलार्थी द्वारा इनपुट टेक्स केंडिट वेट इनवाइस एवं वेट-07 विवरण पत्रों के अनुसार क्लेम की गई है। व्यवसाईं द्वारा वेट-07 तिमाही विवरण पत्रों के साथ प्रस्तुत कर दिये है जो नियमानुसार है। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त आदेश में इनपुट टैक्स रिवर्स कर आरोपित किया है वह अविधिक है। वर्ष के अंत में एडजस्टमेण्ट के लिये किसी भी जमा खर्च को करना क्रय या विक्रय की परिभाषा में नहीं आता है और वह क्य व विकय को वेट एक्ट के फार्म-07 एवम् फार्म-08 को प्रभावित नहीं करता है। प्रत्यर्थी क्य मूल्य पर इनपुट टैक्स लेने के लिये पात्र है। कर निर्धारण अधिकारी ने मनमाने तरीके से भुगतान किये गये वेट को रिवर्स किया है, वह अविधिक है।

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा वेट इन्वाइसेज् पर की गई अपनी खरीद पर चुकाया आगत कर का मुजरा मांगा गया, जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने ट्रेड डिस्काउंट की राशि पर आगत कर को रिवर्स कर दिया। वेट एक्ट की धारा 2(33) में परिभाषित रिवर्स टैक्स के अनुसार वेट अधिनियम की धारा 18(1) के क्लॉज ए से जी तक की शर्तों का उल्ल्घंन किया गया हो तो ही पूर्व में मुजरा लिया गया आगत कर रिवर्स हो सकता है। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने धारा 18(1) के प्रावधानों को उल्लघंन नहीं किया है इसके अलावा प्रत्यर्थी व्यवहारी ने वेट 07 में वर्णित पूरी खरीद पर कर चुकाया था। इसलिए वेट-07 में घोषित आई.टी.सी स्वीकृत योग्य है। विकेता सिमेन्ट कम्पनी ने वर्ष के अन्त में ट्रेड डिस्काउंट देते हुये जिस राशि का केंडिट नोट जारी किया गया उसका धारा 2(36) सेल प्राईस (Sale Price) के स्पष्टीकरण के द्वितीय में अंकित परिभाषा के अनुसार विकेता के मूल्य में से कम नहीं किया गया है। अग्रिम कथन किया कि राज्य सरकार ने वेट एक्ट में दिनांक 09. 03.2011 से प्रभावी संशोधन करते हुये धारा 18 में उप धारा 3(ए) अन्तः स्थापित की गई जिसके अनुसार यह नई उपधारा दिनांक 09.03.2011 से प्रभावी होने के कारण प्रत्यर्थी के आलौच्य अवधि में लागू नही होती है। उन्होंने उक्त के समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या—1844/2013/उदयपुर वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-'डी', उदयपुर बनाम मैसर्स लोढ़ा सीमेन्ट सप्लायर्स, हिरणमगरी, उदयपुर

के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2016 एवं माननीय कर बोर्ड के निर्णय मैसर्स हिंगड़ ट्रेडर्स बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत—बी, उदयपुर (2012) 33 टैक्स अपडेट 199 का हवाला दिया है।

उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनाक 31.12.2012 को यथावत रखते हुए विभाग की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवम् रिकॉर्ड का अवलोकन किया तथा उद्वरित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

अपीलार्थी व्यवहारी ने सीमेन्ट निर्माता कम्पनी से वेट इनवाईस के आधार पर सीमेन्ट खरीद कर उसका विकय ग्राहकों को किया है। सीमेन्ट निर्माता कम्पनी द्वारा अपने उत्पाद सीमेन्ट की बिकी को प्रोत्साहित करने के लिए अपने वितरक (Distributors) प्रत्यर्थी को आलोच्य अवधियों के दौरान उनके द्वारा क्रय की गई सीमेन्ट के टर्न ओवर के आधार पर वर्ष के अन्त में डिस्काउंट / इन्सेन्टिव प्रदान किया गया है। इस प्रकार सीमेन्ट कम्पनी द्वारा वर्ष के अन्त में डिस्काउंट / इन्सेन्टिव की राशि के केडिट नोट संबंधित वितरक के पक्ष में जारी किये गये जिनका इन्द्राज प्रत्यर्थी व्यवहारी ने अपने खाते में कर, कुल खरीद राशि में से डिस्काउण्ट / इन्सेन्टिव की राशि को कम कर ट्रेडिंग एकाउण्ट में शुद्ध खरीद राशि दर्शायी गयी। कर निर्धारण अधिकारी ने वेट अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण द्वितीय के आधार पर सीमेन्ट कम्पनी द्वारा एक्स पोस्ट फेक्टों (Ex Post Facto) दिये गये, इस डिस्काउण्ट / इन्सेन्टिव को अस्वीकार कर इस डिस्काउण्ट / इन्सेन्टिव के बराबर की राशि की खरीद कम मानते हुये अपीलार्थी द्वारा इस खरीद राशि पर लिये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को अस्वीकार करते हुये रिवर्स टैक्स आरोपित किया गया।

उक्त बिन्दु पर निर्णय पारित करने से पूर्व वेट अधिनियम के सुसंगत प्रावधान का अध्ययन किया जाना आवश्यक है जो इस प्रकार है :--

Section 2(17) "Input tax" means tax paid or payble by registered dealer in course of business, on the purchase of in goods made from a registered dealer.

Section 2(33) "Revers tax" means a part of the input tax for which credit as been availed in contravention of the provisions of section 18.

<u>Section 2(36)</u> "Sales price" means the amount paid or payble to a dealer as consideration for the sale of any goods less in a sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practicee normally prevailing in the trade, but inclusing of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or sevices rendered at

the time of before the delevery therefof, except the tax imposed under this Act,

Explanation 1 :-:

<u>Explanation 2:-</u> Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice sahll be excluded from the sale price but any ex post facto grant of discounts or insectives or rebates or rewards and the like shall not be excluded.

<u>Section 18. Input Tax Credit.</u> (1) Input tax credit shall be allowed, to registered dealers, other than the dealers covered by sub-section (2) of section 3 or section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of-

- (a) sale within the State of Rajasthan; or
- (b) sale in the course of inter-State trade and commerce; or
- (c) sale in the course of export outside the territory of India; or
- (d) being used as packing material of the goods, other than exempted goods, for sale; or
- (e) being used as raw material, "except those as may be notified by the State Government," in the manufacture of goods other than exempted goods, for sale within the State or in the course of inter-State trade or commerce; or
- (f) "being used as packing material of goods or as raw material in manufacture of goods for sale" in the course of export outside the territory of India; or
- (g) being used in the State as capital goods;

however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they ary used for the purposes specified in this sub-section.

- "(2) The claim of input tax credit shall be allowed on the tax deposited on the basis of original VAT invoice within three months from the date of issuance of such invoice. However, claim of input tax credit of the additional tax deposited may be allowed on the basis of VAT invoice which has been issued subsequently in compliance with the decision of any competent court or authority, showing the tax at higher rate. If the first original VAT invoice is lost, input tax credit may be allowed on the basis of a duplicate copy thereof, subject to such conditions as may be prescribed."
- (3) Notwithstanding anything contained in this Act, no input tax credit shall be allowed on the purchases-
- (i) from a registered dealer who is liable to pay tax under sub-section (2) of section 3 or who has opted to pay tax under section 5 of this Act; or
 - (ii) of goods made in the course of import from outside the State; or
- (iii) where the original VAT invoice or duplicate copy thereof is not available with the claimant, or there is evidence that the same has not been issued by the selling registered dealer from whom the goods are purported to have been purchased; or
- (iv) of goods where invoice does not show the amout of tax separately; or

(v) where the purchasing dealer fails to prove the genuineness of the purchase transaction, on being asked to do so by an officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer authorised by the Commissioner.

(4) The State Government may notify cases in which partial input tax credit may be allowed subject to such conditions, as may be notified by it.

उपर्युक्त परिभाषित "इनपुट टैक्स" से आशय उस कर राशि से है जो पंजीकृत केता व्यवसाई द्वारा खरीद के दौरान कर के रूप में भुगतान की गई है। प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवसाई द्वारा वक्त क्य वेट इन्वाइसेज के आधार पर जो राशि कर के रूप में विकेता को भुगतान की गई है उस पर ही आगत कर का मुजरा क्लेम किया गया है।

वेट अधिनियम की धारा 18(2) के अनुसार विकेता द्वारा वेट इन्वाइसेज् में वसूल किये गये कर की राशि का भुगतान केता प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा किया जाकर वेट—07 के तहत इस खरीद पर भुगतान किये गये कर की राशि का आई.टी.सी क्लेम पेश किया गया हैं।

उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार ''रिवर्स टैक्स'' से आशय इनपुट टैक्स की उस राशि से है जिसका क्रेडिट धारा 18 के प्रावधान का उल्ल्घंन करते हुये लिया गया हो।

यह भी स्पष्ट है कि वेट अधिनियम की धारा 18(1) क्लॉज ए से जी तक के किसी प्रावधान का इस प्रकरण में कोई उल्लघन नहीं हुआ है तथा 18(2) के प्रावधान की पालना की गई है। धारा 18(3) में अंकित जिन स्थितियों में आई.टी.सी. अनुझेय नहीं है, वो कोई स्थिति इस प्रकरण में घटित नहीं हुई। इस प्रकार प्रकरण में धारा 18 के प्रावधान का कोई उल्लघन नहीं हुआ है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जिस आधार पर रिवर्स टैक्स आरोपित किया गया वो आधार विधिसम्मत नहीं है। वेट अधिनियम की धारा 2(36) में विक्य मूल्य को परिभाषित किया है। इस उप धारा के स्पष्टीकरण द्वितीय में यह स्पष्ट किया गया है कि बिक्री करते समय विक्रय पर्चों में अंकित केश या ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि विक्य मूल्य का हिस्सा नहीं होगी परन्तु भूतलक्षी प्रभाव से (Ex post Facto) दिये गये डिस्काउण्ट या इन्सेटिव की राशि का विक्य मूल्य से कम (Exclude) नहीं किया जायेगा। यानि भूतलक्षी प्रभाव से दिये जाने वाले डिस्काउंट / रिबेट से विक्य मूल्य की राशि अप्रभावित रहेगी।

हस्तगत प्रकरणों में माल की बिकी होने के बाद विकेता द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से डिस्काउण्ट/इन्सेटिव केता के पक्ष में जारी किये गये। अतः उपर्युक्त स्पष्टीकरण द्वितीय के प्रभाव स्वरूप विकेता द्वारा दिये गये भूतलक्षी डिस्काउंट की राशि उसके विकय मूल्य में से कम नहीं की जायेगी और न ही बिकी पर आउटपुट टैक्स (Output Tax) की देयता में कमी की जावेगी। इस स्पष्टीकरण का इसके अलावा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विकेता ने इस स्पष्टीकरण का कोई उल्ल्यंन नहीं किया है क्योंकि उसने वेट इन्वाईसेज में विकय राशि दर्शाते हुये आउटपुट टैक्स की जो देयता बतायी गयी उसके अनुसार वेट इन्वाईसेज में वसूल किये गये वेट की सम्पूर्ण राशि राजकोष में जमा करवाई गयी अर्थात् भूतलक्षी डिस्काउण्ट से विकय मूल्य से देय कर की दायित्व में कोई कमी नहीं हुई है।

इस सन्दर्भ में प्रिया एजेन्सीज बनाम सी.टी.ओ. (2008) 14 वी.एस.टी. 493 के मामले में माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय प्रासंगिक है। इस निर्णय के सुसंगत अंश इस प्रकार है:—

"While paying tax on sales turnover, the petitioners have taken input tax credit on tax collected by supplier. The suppliers, periodically, give credit not to the petitioners by way of incentives for sale of various goods under various schemes. The assessing officer in all the case considered the amount covered by the credit notes as discount given by the supplie4rs consequently, while giving input tax credit, tax attributable to the credit note amount was reduced, thereby reducing the input tax credit on credit not amounts were reduced because petitioner have not complied by circular. As per circular the recipients of credit notes should produce certificate from the suppliers to the effects that the suppliers have not claimed deduction of the credit not amount toward discount of otherwise in their turnover and tax is paid on the full amount shown in the bills.

Petitioner challenged the validity of the circular. Kerala High court held that circular is beneficial to the petitioner, as if the suppliers have not claimed deduction of credit note amount as discount and paid full tax shown in the sale bill, then petitioner are entitled to full input tax credit based on purchase bills, provided the cement supplying companies issue deductions to the petitioner and their distributors to the effect that entire tax shown in their bills to the buyers are paid and no deduction in the turnover is claimed by them towards trade discount based on credit notes."

राजस्थान राज्य में केरल राज्य के समान इनपुट टैक्स क्रेडिट के संबंध में विकेता व्यवसायी द्वारा कर देयता कम न करने के प्रमाण—पत्र जारी करने के संबंध में कोई परिपत्र जारी नहीं किया है। परन्तु इस प्रकरण के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि विकेता सीमेन्ट कम्पनीज द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से दिये गये डिस्काउण्ट/इन्सेटिव की राशि के परिणामस्वरूप देय कर की राशि में कोई कमी (Deduction) नहीं हुई है तथा वेट इन्वाइसेज् में अंकित वेट की सम्पूर्ण राशि राजकोष में विकेता द्वारा जमा करवाई गयी है। अतः उद्घरित न्यायिक दृष्टांत के अनुसार केता अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा खरीद करते समय वेट इनवोइसेस में जिस वेट राशि का भुगतान किया गया है तथा विकेता द्वारा जो राजकोष में जमा करवायी गयी है उस वेट राशि का केता द्वारा आई.टी.सी. का क्लेम किया जाना अनुज्ञेय है।

वेट अधिनिमय की धारा 18 में उप धारा 3 (ए) में दिनांक 09.03.2011 से अन्तः स्थापित की गई जो इस प्रकार है :--

(3-A)" Notwithistanding anything contained in this Act, where any goods purchased in the State are subsequently sold at subsidized price, the input tax allouwable udner this section in rwspect of such goods shall not exceed the output tax payable on such goods"

उपर्युक्त उपधारा को अन्तः स्थापित करने के लिये राज्य सरकार के निम्नाकित उद्देश्य व कारण बताये गये है :- ।

In certain trades goods are being sold and tax on such sales is being revovered from the purchaser, but at later stage seller provides incentive to tht purchasing dealer in the form of credit notes or subsidy etc. Such purchasing dealers after selling goods at subsidized rates claim refund of tax paid at earlier stage. In order to check this tendency a new sub-section

(3A) is proposed to be inserted in section 18 of the Rajasthan Valude Added Tax 2003.

उपर्युक्त विवेचन के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वैट अधिनियम की प्रावधान की गलत व्याख्या की जाकर बिना उचित आधार के आई.टी.सी का क्लेम अस्वीकार कर रिवर्स टैक्स आरोपित किया गया जबिक इस प्रकरण में धारा 18 के प्रावधान का कोई उल्लंधन नहीं हुआ है, इसलिये रिवर्स टैक्स आरोपित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निष्पादित की गई कार्यवाही विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त योग्य है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन एवं प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से उद्धरित किये गये न्यायिक दृष्टोन्तों में प्रतिपादित मत से यह स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आई टी सी. क्लेम अस्वीकार किया जाना अविधिक है। अतः अपीलीय अधिकारी ने अपील आदेश दिनांक 31.12.2012 के द्वारा रिवर्स की गई आई टी सी रू. 1,68,476/— एवं 2,56,466/—को पुर्नः स्थापित किये जाने को यथावत रखते हुए राजस्व की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती है। इस प्रकार जब आई टी सी स्वीकृत होने पर कर राशि कम जमा नहीं पायी जायेगी इसलिए अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत आरोपित ब्याज कमश रू. 67,385/— व रू. 52,055/—अपास्त किये जाने योग्य है,जिसको अपीलीय अधिकारी द्वारा भी अपास्त किया गया है,जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पायी जाती है।

फलतः कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय) सदस्य